न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा जिला झालावाड(राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 20/2017 दायर दिनांकः 18.04.2017

उनवान

1. सांवरलाल पि. गिरधारी जाति कुम्हार नि. बाली तहसील झालरापाटन

प्रार्थी

बनाम

1. राधेश्याम पि. भंवरलाल जाति ब्राहमण नि. सालरी तहसील रायपुर
2. सुरेश पि. भंवरलाल जाति ब्राहमण नि. सालरी तहसील रायपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रायपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :—

प्रार्थी :— विद्वान अभिभाषक श्री महेन्द्रसिंह जैन

अप्रार्थी :— विद्वान अभिभाषक श्री विनोद शर्मा

निर्णय दिनांक 11.11.2024

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषकगण उभयपक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि उपरोक्त उनवान का वाद ठोस आधारों पर श्रीमान् की सेवामें प्रस्तुत कर दिया है जिसमें वर्णित विवरणों के अनुसार ग्राम सालरी के ख.नं. 504 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की है। अप्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी से कोई संबंध नहीं है फिर भी अप्रार्थीगण आये दिन दक्षिण पश्चिम दिशा की मेडों पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करते रहते है एवं लडाई झगडा करते है एवं कब्जा करने की धमकी देते है। यदि अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजी पर जबरन कब्जा कर लेगे तो प्रार्थी को भारी अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति द्रव्य से नहीं हो सकेगी। प्रार्थी वादग्रस्त आराजी के खातेदार है। प्रार्थी का प्राइमाफेसी केस है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिये अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये कि वे प्रार्थी के खाते एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.11.18 12:16:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

कब्जे काश्त की आराजी ग्राम सालरी के ख.नं. 504 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा भूमि पर कब्जा नहीं करे, इसकी दक्षिण पश्चिम मेडो को अपने खेत में नही मिलावे।

2 प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। आदेशिका दिनंक 22.10.2024 के अनुसार अप्रार्थीगण को जवाब के पर्याप्त अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नहीं करके सीधी बहस का निवेदन किया।

3 अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सालरी के ख.नं. 504 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की है जिसमें अप्रार्थीगण का कोई हित एवं सरोकार नहीं है। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थीगण आये दिन लडाई झगडा उत्पन्न कर प्रार्थी के खाते की वादग्रस्त आराजी की दक्षिण पश्चिम दिशा की मेडो पर कब्जा कर अपने खेत में मिलाना चाहते है जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी शांतिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थीगण झगडालू प्रवृति के होकर आये दिन विवाद कर प्रार्थी की खातेदारी की आराजी पर कब्जा करना चाह रहे है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा आगे तर्क दिया कि यदि अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजी दक्षिण पश्चिम दिशा की मेडो पर कब्जा कर अपने खेत में मिलाने के मकसद में सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूरनीय क्षति होगी। माननीय न्यायालय से निवदेन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

4 अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं कर सीधी बहस कर कथन किया कि प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी से लगवा अप्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि है। अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि पर काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि पर कोई कब्जा नहीं किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.11.18 12:16:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

5 उभयपक्ष की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। धारा 212 आरटीएक्ट के प्रार्थना पत्र को अभिनिर्धारित करने के लिए प्रकरण को निम्न तीन बिन्दुओं पर जांचना आवश्यक है :–

(अ) <u>प्रकरण प्रथम दृष्टया</u>– ग्राम सालरी के ख.नं. 504 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा भूमि का प्रार्थी सांवरलाल पि. गिरधारी जाति कुम्हार रिकार्डेड खातेदार कृषक है। प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रार्थी द्वारा सशपथ कथन किया गया है कि अप्रार्थीगण जबरन उसकी आराजी पर कब्जा करने का प्रयास करते रहते है। अभिभाषक अप्रार्थीग्ण द्वारा कथन किया कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की भूमि पर कोई कब्जा नहीं किया हुआ है। अतः प्रार्थी के रिकार्डेड खातेदार कृषक होने से प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में सावित है।

(ब) <u>सुविधा का संतुलन</u> – प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में सावित है। प्रार्थी ग्राम सालरी के ख.नं. 504 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा भूमि का खातेदार कृषक होकर शांतिपूर्ण तरीके से काबिज काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा कोई कब्जा नहीं करने का कथन किया है। यदि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी की दक्षिण पश्चिम मेड पर जबरन कब्जा किया है या कब्जा करने पर आमदा है तो तो अप्रार्थीगण के अतिकमी की परिभाषा में आने से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने पर अप्रार्थीगण की तुलना में प्रार्थी को अधिक सुविधा कारित होगी। अतः प्रकरण में सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में सावित है।

(स) <u>अपूर्णीनीय क्षति</u> – हस्तगत प्रकरण में प्रकरण प्रथम दृष्टया और सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में सावित है। प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार कृषक होकर कब्जा धारी काश्तकार है। यदि कोई व्यक्ति/अतिकमी किसी रिकार्डेड खातेदार कृषक की भूमि पर जबरन कब्जा करता है तो उसे अपूरनीय क्षति कारित हो सकती है। अतः प्रार्थी को अपूर्णीनीय क्षति की संभावना है।

6. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर ग्राम सालरी के ख.नं. 504 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर मूल वाद के [illegible] तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पाबंद [illegible] कि वह प्रार्थी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.11.18 12:16:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

खाते एवं कब्जे काश्त की ग्राम सालरी के ख.नं. 504 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा भूमि के दक्षिण पश्चिम भाग पर अवैधानिक हस्तक्षेप व अतिकमण नहीं करे।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.11.18 12:16:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner